17

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ. (योजना)/प्रे/9816 दिनांक 31 MAR 2008

आदेश – 478

विषयः– वर्ष 2008–09 में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2003 तक के सामान्य कृषि श्रेणी के विचाराधीन आवेदकों, समस्त स्पेशल श्रेणी के आवेदकों, समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों को वर्ष 2008–09 में मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त नये कृषि कनेक्शनों को जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैः

1. मांग पत्र जारी करनाः–

(i) सभी श्रेणीयों के लिये मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जायेगा तथा उक्त समयावधि में मांग पत्र जमा नही कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा। जिसके लिये सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत समीति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे।

(ii) उपरोक्त मे से 50 प्रतिशत आवेदकों के मांग पत्र 15 अप्रैल 2008 तक जारी किये जावेंगे तथा शेष आवेदकों के मांग पत्र 31 जुलाई 2008 तक जारी किये जावेंगे।

2. कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता :–

कृषि कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार ही दी जायेगी, न कि मांग पत्र जमा की तारीख के अनुसार।

3. कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्यः–

15 अप्रैल 2008 तक जारी किये गये मांग पत्रों के कुल आवेदकों की जमा राशि के 1/3 कनेक्शन अगस्त में, 1/3 सितम्बर में, 1/3 अक्टूबर 08 में किये जायेंगे इसी प्रकार 31 जुलाई 08 तक जारी मांग पत्रों के कुल जमा राशि के 1/3 नवम्बर, 1/3 दिसम्बर 08 एवं 1/3 जनवरी 09 में कनेक्शन जारी किये जायेंगे। मांग पत्र में आवेदकों को कनेक्शन जारी करने का लगभग समय सुनिश्चित करें।

4. कृषि कनेक्शनों के लिये सामान की ढुलाई :–

कृषि कनेक्शनों के लिये जरूरी सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मांग पत्र में 1500 रू. अतिरिक्त चार्ज किये जावेंगे। यदि आवेदक अपने खर्चे पर सारे सामान की ढुलाई का कार्य स्वंय करना चाहता हो तो उससे सामान की ढुलाई की राशि चार्ज नही की जायेगी।

Vkj

5. कृषि कनेक्शनों के लिये लाईन एवं सब–स्टेशन लगाने का कार्य :–

कृषि कनेक्शनों हेतु 11 के.वी. लाईन तथा 11/0.4 के.वी. सब–स्टेशन लगाने का कार्य निगम द्वारा निर्धारित सी.एल.आर.सी. रेट पर कराया जा सकता है एवं यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि लाईन व सब–स्टेशन खडी करने में अच्छी गुणवत्ता बनी रहे, समय पर सामान की ढुलाई का कार्य एवं कृषक को बिना असुविधा के मांग पत्र पर प्रदर्शित समयानुसार कृषि कनेक्शन जारी हो।

31/3

(जी. आर. चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. निदेषक (वित्त) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
6. मुख्य अभियन्ता (पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. सचिव (प्रषासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
12. प्रावेधिक–सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
15. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Vkj